एक ही दिन में पांच बड़ी कार्रवाई

एएनटीएफ का शिकंजा: 25 हजार का इनामी तस्कर गिरफ्तार, 26 लाख की ड्रग्स जब्त

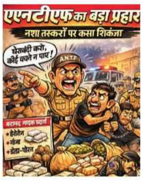

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। राजस्थान में नशे के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में पांच बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान 25 हजार रुपए के इनामी कुख्यात तस्कर को गिरफ्तार किया गया, वहीं विभिन्न जिलों में छापेमारी कर करीब 26 लाख रुपए की हेरोइन, गांजा और डोडा-पोस्त जब्त किए। कार्रवाई से अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है।

पहली कार्रवाई: एएनटीएफ ने ऑपरेशन हृदशार्दूल चलाकर 25 हजार रुपए के इनामी और अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर शेरदिल उर्फ दद्दू निवासी नौगावां अरनोद प्रतापगढ़ को भीलवाड़ा के हमीरगढ़ से गिरफ्तार किया। आरोपी प्रतापगढ़ का निवासी है और लंबे समय से फरार चल रहा था। वह प्रदेश के टॉप-25 वांटेड अपराधियों में शामिल था और सिंथेटिक ड्रग्स, अफीम, एमडी और स्मैक की तस्करी करता था। एएनटीएफ ने आरोपी की महिला मित्र के जरिए लोकेशन ट्रेस की। जैसे ही आरोपी भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़ के बीच एक होटल में रुका, टीम ने घेराबंदी कर दबोच लिया।

दूसरी कार्रवाई: एएनटीएफ और स्थानीय पुलिस ने श्रीगंगानगर में चेक पोस्ट पर एक कार को रोककर तलाशी ली। टीम ने सूचना पर नीटू निवासी रायसिंह नगर श्रीगंगानगर और प्रवीण निवासी रायसिंह नगर श्रीगंगानगर को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 100 ग्राम हेरोइन बरामद की। जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है।

तीसरी कार्रवाई: हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से बड़ी खेप पकड़ी गई। आरोपी सुखविन्दर निवासी फाजिल्का पंजाब को गिरफ्तार कर 30.500 किलो डोडा-पोस्त जब्त किया। आरोपी इसे पंजाब सप्लाई के लिए ले जा रहा था

चौथी कार्रवाई: पारसोली थाना क्षेत्र में एएनटीएफ ने एक आरोपी महेन्द्र निवासी बेगूं चित्तौड़गढ़ को दबोचा। उससे 2.520 किलो गांजा जब्त किया। आरोपी महाराष्ट्र से सप्लाई लाता था

पांचवीं कार्रवाई: भीलवाड़ा के सुभाष नगर क्षेत्र में तस्कर सुरेन्द्र लेगा निवासी गजसिंहपुर श्रीगंगानगर को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 4.187 किलो डोडा-पोस्त जब्त किया। आरोपी सप्लाई के लिए जा रहा था

11 पुलिस अधिकारी-कार्मिक डीजीपी डिस्क से सम्मानित

नवज्योति जयपुर। पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने सोमवार को पुलिस आयुक्तालय में हुए कार्यक्रम में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 11 पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को डीजीपी डिस्क और प्रमाण पत्र भेंटकर सम्मानित किया। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रानू शर्मा, मिताली गर्ग, और हेमंत कुमार, सहायक पुलिस आयुक्त नारायण, पुलिस उप अधीक्षक मोहम्मद इस्लाम खान, पुलिस निरीक्षक गुंजन वर्मा, भजन लाल समेत कांस्टेबल भूपेंन्द्र सिंह, वेदवीरसिंह, हरिमोहन और ललित कुमार शामिल रहे। कार्यक्रम में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

आम सूचना गुमानपुरा टोल प्लाजा पर उपयोग शुल्क (टोल) की दरें जो कि दिनांक 01.04.2026 (00:00 बजे) से लागू होगी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपयोगकर्ता शुल्क वसूली राजस्थान राज्य में NH-552 के खण्ड कि0मी0 1.300 कि0मी0 से 69.750 कि0मी0 (टोंक–सवाई माधोपुर खण्ड) के गुमानपुरा टोल प्लाजा (स्थित चैनेज संख्या 24.350 कि0मी0) पर दिनांक 01.04.2026 (प्रातः 0.00 बजे से) उपभोक्ता शुल्क संग्रहण निम्न संशोधित दरो से किया जायेगा। शुल्क की संशोधित दरें निम्न प्रकार है।

1. राशि रु. में

वाहन के प्रकार	एक तरफा यात्रा के लिए शुल्क	वापसी यात्रा के लिए शुल्क (24 घंटे के अंदर)	मासिक पास (एक तरफा 50 यात्राओ के लिये मान्य)	जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन के लिए शुल्क
कार, जीप, वैन व हल्के मोटर वाहन	65	100	2220	35
हल्के वाणिज्यिक वाहन, लाइट माल वाहन या मिनी बस	110	160	3585	55
ट्रक/बस	225	340	7510	115
3 धूरी वाणिज्यिक वाहन	245	370	8195	125
एम.ए.वी./एच.सी.एम./ई.एम.ई. (4 से 6 धूरी)	355	530	11780	175
वृहदाकार वाहन (7 या अधिक धूरी)	430	645	14340	215

- मासिक पास की दरें टोल प्लाजा से 20 किमी. की परिधि में रहने वाले गैर वाणिज्यिक वाहनों के स्वामी पर लागू होगी, उनके लिये वर्ष 2026–27 के लिये दर 350/– रूपये है।
- वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु वार्षिक पास की नई दर 01 अप्रैल 2026 से ₹ 3,075/– लागू होगी।
- 01.04.2026 से नकद लेन–देन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

2. वैध FASTag धारकों के लिए निम्न रियायती दरें उपरोक्त टोल प्लाजा पर लागू होगी।
   (i) समस्त श्रेणी के वाहनों को शुल्क भुगतान के समय से 24 घंटे के भीतर, वापसी पर अनुबन्ध रियायत–एक तरफा यात्रा की सामान्य फीस का केवल डेढ़ गुणा शुल्क देय होगा।
   (ii) समस्त श्रेणी के वाहनों को एक माह के लिए 50 अधिकतम एक तरफा यात्राओं के लिए उपरोक्त टेबल के अनुसार शुल्क लगेगा।
   (iii) रू. 350/– का पास हर कलैण्डर माह के लिए टोल प्लाजा से 20 किमी. की परिधि में रहने वाले गैर वाणिज्यिक वाहन के स्वामी के लिए होगा।
3. छूट प्राप्त वाहनों की सूची शुल्क नियम दिनांक 03.12.2010 जी.एस.आर. 950(अ) एवं अनुवर्ती नियम दिनांक 08.06.2016 जी.एस.आर. 585(अ) में किये गये संशोधन के अनुरूप है।
4. अनुमत तय सीमा से अधिक वजन वाले वाहनों पर उपयोग शुल्क दरों का 2 से 10 गुणा अधिक देय होगा तथा अधिक वजन को हटाकर ही राजमार्ग का उपयोग कर सकेंगें।
5. गजट में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.01.2019 दरों की स्वीकृति दिनांक 25.03.2026 आदि देखने के लिए वेबसाइट **http://tis.nhai.gov.in** का अवलोकन करें।
6. किसी भी प्रकार की जाँच/शिकायत/सुझाव के लिये पदनाम व पते इस प्रकार है:–

प्रतिनिधि का पद/नाम	पता	दूरभाष न.
संदीप अग्रवाल महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पकाई–कोटा, प्रीमियम ईटीए, प्रथम तल प्लॉट नम्बर 08, महावीर नगर प्रथम कोटा (राज.)– 324005	8130006149

सड़कें ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण भी

DNA 392291

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

आम सूचना पल्लई टोल प्लाजा पर उपयोग शुल्क (टोल) की दरें जो कि दिनांक 01.04.2026 (00:00 बजे) से लागू होगी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है उपयोगकर्ता शुल्क वसूली राजस्थान राज्य में NH-148 डी के खण्ड कि0मी0 211.140 कि0मी0 से 282.936 कि0मी0 (गुलाबपुरा–उनियारा खण्ड) के पल्लई टोल प्लाजा (स्थित चैनेज संख्या 275.130 कि0मी0) पर दिनांक 01.04.2026 (प्रातः 00:00 बजे से) उपभोक्ता शुल्क संग्रहण निम्न संशोधित दरो से किया जायेगा। शुल्क की संशोधित दरें निम्न प्रकार है।

1. राशि रु. में

वाहन के प्रकार	एक तरफा यात्रा के लिए शुल्क	वापसी यात्रा के लिए शुल्क (24 घंटे के अंदर)	मासिक पास (एक तरफा 50 यात्राओ के लिये मान्य)	जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन के लिए शुल्क
कार, जीप, वैन व हल्के मोटर वाहन	70	110	2390	35
हल्के वाणिज्यिक वाहन, लाइट माल वाहक वाहन या मिनी बस	115	175	3865	60
ट्रक/बस	245	365	8095	120
3 धूरी वाणिज्यिक वाहन	265	395	8830	130
एम.ए.वी./एच.सी.एम./ई.एम.ई. (4 से 6 धूरी)	380	570	12695	190
वृहदाकार वाहन (7 या अधिक धूरी)	465	695	15455	230

- मासिक पास की दरें टोल प्लाजा से 20 किमी. की परिधि में रहने वाले गैर वाणिज्यिक वाहनों के स्वामी पर लागू होगी, उनके लिये वर्ष 2026–27 के लिये दर 350/– रूपये है।
- वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु वार्षिक पास की नई दर 01 अप्रैल 2026 से ₹ 3,075/– लागू होगी।
- 01.04.2026 से नकद लेन–देन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

2. वैध FASTag धारकों के लिए निम्न रियायती दरें उपरोक्त टोल प्लाजा पर लागू होगी।
   (i) समस्त श्रेणी के वाहनों को शुल्क भुगतान के समय से 24 घंटे के भीतर, वापसी पर अनुबन्ध रियायत–एक तरफा यात्रा की सामान्य फीस का केवल डेढ़ गुणा शुल्क देय होगा।
   (ii) समस्त श्रेणी के वाहनों को एक माह के लिए 50 अधिकतम एक तरफा यात्राओं के लिए उपरोक्त टेबल के अनुसार शुल्क लगेगा।
   (iii) रू. 350/– का पास हर कलैण्डर माह के लिए टोल प्लाजा से 20 किमी. की परिधि में रहने वाले गैर वाणिज्यिक वाहन के स्वामी के लिए होगा।
3. छूट प्राप्त वाहनों की सूची शुल्क नियम दिनांक 03.12.2010 जी.एस.आर. 950(अ) एवं अनुवर्ती नियम दिनांक 08.06.2016 जी.एस.आर. 585(अ) में किये गये संशोधन के अनुरूप है।
4. अनुमत तय सीमा से अधिक वजन वाले वाहनों पर उपयोग शुल्क दरों का 2 से 10 गुणा अधिक देय होगा तथा अधिक वजन को हटाकर ही राजमार्ग का उपयोग कर सकेंगें।
5. गजट में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 25.09.2018 दरों की स्वीकृति दिनांक 25.03.2026 आदि देखने के लिए वेबसाइट **http://tis.nhai.gov.in** का अवलोकन करें।
6. किसी भी प्रकार की जाँच/शिकायत/सुझाव के लिये पदनाम व पते इस प्रकार है:–

प्रतिनिधि का पद/नाम	पता	दूरभाष न.
संदीप अग्रवाल महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पकाई–कोटा, प्रीमियम ईटीए, प्रथम तल प्लॉट नम्बर 08, महावीर नगर प्रथम कोटा (राज.)– 324005	8130006149

सड़कें ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण भी

DNA 392334

जयपुर पुलिस का वन डे स्पेशल कैम्पेन

एनडीपीएस, आबकारी और जुआ अधिनियम में 110 गिरफ्तार

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। जयपुर में अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एनडीपीएस, आबकारी और जुआ अधिनियम के तहत एक दिवसीय विशेष अभियान चलाकर 110 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान अवैध मादक पदार्थों से जुड़े 57 प्रकरण दर्ज किए गए। पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने बताया कि जयपुर पुलिस ने एनडीपीएस, आबकारी एवं जुआ अधिनियम के तहत अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक दिवसीय विशेष अभियान चलाया। स्पेशल पुलिस आयुक्त ऑपरेशन्स ओम प्रकाश के सुपरविजन में शहर के चारों जिलों में यह अभियान संचालित किया गया, जिसमें कुल 110 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।

कार्रवाई के दौरान अवैध मादक पदार्थों के मामलों में जिला पूर्व में 16 एफआईआर दर्ज कर 34 गिरफ्तारियां की गईं। वहीं पश्चिम जिले में 12 एफआईआर में 18, उत्तर जिले में 12 एफआईआर में 38, दक्षिण जिले में 17 एफआईआर में 20 तथा सीएसटी में 9 एफआईआर में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

चोरी के दो आरोपी पकड़े, माल बरामद

संजय सर्किल थाना पुलिस ने झोटवाड़ा रोड स्थित सेनेट्री-हार्डवेयर दुकान से पीतल की कीमती फिटिंग, नकदी और सीसीटीवी डीवीआर चुराने के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी किया माल बरामद किया है। पुलिस उपायुक्त उत्तर करण शर्मा ने बताया कि आरोपी मुराद आलम (21) भौर हुसैनपुर हरीशचन्द्रपुर मालदा प. बंगाल हाल किराएदार सुदामापुरी पेन्टर कॉलोनी शास्त्री नगर और आमिर हुसैन (18) सुरतपुर चांचोल मालदा प. बंगाल हाल किराएदार सुदामापुरी नुरानी मस्जिद के पास पेन्टर कॉलोनी शास्त्री नगर को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कई वारदातें करना कबूल किया है।

बेटों को राजनीति से नहीं, सरकार से दूर रखने की सलाह दी: अशोक गहलोत

जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने उनके बयानों पर भाजपा नेताओं के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा है कि उन्होंने सरकार के मंत्रियों को बेटे-बेटियों को सरकार से दूर रखने की सलाह दी थी। राजनीति कराने से किसी को आपत्ति नहीं है। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि मैंने कहा था कि सरकार में मंत्री अपने बेटों को सरकार से दूर रखें, लेकिन अब वे मेरे बेटे के लिए काफी कुछ कह रहे हैं, जबकि मैं सीएम था तब मैंने बेटे को सरकारी आवास में नहीं रखा। उसे किराए का घर दिलाया था।

सरकार का विकास कार्यों से लेना देना नहीं: पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यों को गिनाते हुए भाजपा सरकार पर विकास कार्यों को ठप करने के आरोप लगाए हैं। गहलोत ने कहा है कि इंतजारशास्त्र के माध्यम से हमने सवाल उठाए कि जनता के करोड़ों रुपए खर्च कर जो शानदार इमारतें बनाई गई हैं, उन्हें भाजपा सरकार जनता को समर्पित क्यों नहीं कर रही है। भाजपा नेताओं के मीडिया के माध्यम से आए जवाब केवल मुद्दे से भटकाने वाले हैं।

ऑपरेशन वज्र प्रहार: 386 पुलिस कर्मियों की टीम ने 384 को किया गिरफ्तार

नवज्योति, जयपुर। ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत जयपुर पश्चिम पुलिस ने दो दिन के विशेष अभियान में 384 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 10-10 हजार रुपए के दो इनामी अपराधी नन्दलाल चौधरी और दिनेश बंसल भी शामिल हैं। पुलिस उपायुक्त पश्चिम प्रशांत किरण ने बताया कि 28 और 29 मार्च को चलाए गए इस अभियान में 118 स्थाई वारंटी, सात इनामी, समेत अन्य प्रकरणों में 172, शांतिभंग में 193, एनडीपीएस एक्ट में 15, आबकारी अधिनियम में एक, आर्म्स एक्ट में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर पिस्टल समेत एक टोपी दार बंदूक बरामद की है।

आप पार्टी ने हल्ला बोल अभियान में जमीनी समस्याओं को उठाया

जयपुर। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को प्रदेश कार्यालय में जयपुर शहर में बढ़ती अव्यवस्थाओं और नगरनिगम की लापरवाहियों के खिलाफ अभियान हल्ला बोल के प्रथम चरण के अंतर्गत शहर की जमीनी समस्याओं को उठाया। जिलाध्यक्ष अमित दाधीच एवं संगठन महामंत्री संगीता गौड़ ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फैली गंदगी, जगह-जगह टूटे बिजली के पोल, जर्जर सड़कें, खुले में झूलते बिजली के तार, ब्लॉक सीवर चैम्बर, बंद या खराब स्ट्रीट लाइट, अव्यवस्थित कचरा प्रबंधन और आवारा पशुओं की समस्या ने आमजन का जीवन कठिन बना दिया है। नगर निगम इन समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नजर नहीं आता। पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय लाल कोठी पहुंचकर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा।

इस ज्ञापन में शहर के 15 वार्डों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की गई। समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

10 हजार के इनामी बदमाश को दबोचा

नवज्योति, जयपुर। सोड़ाला थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट में फरार चल रहे एक वांछित आरोपी शोएब भिश्ती उर्फ शोएब अख्तर (28) राजीव कॉलोनी उदेई मोड़ गंगापुरसिटी सवाईमाधोपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि आरोपी शोएब कुरैशी से देशी कट्टा 315 बोर, और जिंदा कारतूस 12 जून 2025 को बरामद किया। उसने यह हथियार शोएब अख्तर से खरीदे थे। 19 फरवरी को पुलिस उपायुक्त दक्षिण कार्यालय ने आरोपी पर 10 हजार रुपए इनाम की घोषणा की थी। पुलिस ने उसे गंगापुर सिटी से दबोच लिया।

रिजर्व पुलिस लाइन में स्वास्थ्य शिविर अधिकारियों-कार्मिकों ने उठाया लाभ

नवज्योति, जयपुर। चांदपोल स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय राजेश कांवट ने बताया कि 27 और 30 मार्च को आयोजित शिविरों में हृदय, मधुमेह, किडनी, हड्डी, ईएनटी, नेत्र व स्त्री रोग विशेषज्ञों ने परामर्श दिया। ईसीजी, ब्लड प्रेशर, शुगर, डेंटल व आंखों की जांच निशुल्क की गई। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने जवानों को नियमित जांच के लिए प्रेरित किया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजीव पचार ने कहा कि चौबीस घंटे ड्यूटी करने वाले जवानों के लिए ऐसे शिविर जरूरी हैं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

आम सूचना दौलतपुरा टोल प्लाजा पर उपयोग शुल्क (टोल) की दरें जो कि दिनांक 01.04.2026 (00:00 बजे) से लागू होगी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है उपयोगकर्ता शुल्क वसूली राजस्थान राज्य में NH-552 वि0 के खण्ड कि0मी0 76.600 कि0मी0 से 112.000 कि0मी0 (सवाई माधोपुर श्योपुर खण्ड) के दौलतपुरा टोल प्लाजा (स्थित चैनेज संख्या 106.915 कि0मी0) पर दिनांक 01.04.2026 (प्रातः 00:00 बजे से) उपभोक्ता शुल्क संग्रहण निम्न संशोधित दरो से किया जायेगा। शुल्क की संशोधित दरें निम्न प्रकार है।

1. राशि रु. में

वाहन के प्रकार	एक तरफा यात्रा के लिए शुल्क	वापसी यात्रा के लिए शुल्क (24 घंटे के अंदर)	मासिक पास (एक तरफा 50 यात्राओ के लिये मान्य)	जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन के लिए शुल्क
कार, जीप, वैन व हल्के मोटर वाहन	30	45	1025	15
हल्के वाणिज्यिक वाहन, लाइट माल वाहक वाहन या मिनी बस	50	75	1660	25
ट्रक/बस	105	155	3475	50
3 धूरी वाणिज्यिक वाहन	115	170	3790	55
एम.ए.वी./एच.सी.एम./ई.एम.ई. (4 से 6 धूरी)	165	245	5450	80
वृहदाकार वाहन (7 या अधिक धूरी)	200	300	6635	100

- मासिक पास की दरें टोल प्लाजा से 20 किमी. की परिधि में रहने वाले गैर वाणिज्यिक वाहनों के स्वामी पर लागू होगी, उनके लिये वर्ष 2026–27 के लिये दर 350/– रूपये है।
- वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु वार्षिक पास की नई दर 01 अप्रैल 2026 से ₹ 3,075/– लागू होगी।
- 01.04.2026 से नकद लेन–देन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

2. वैध FASTag धारकों के लिए निम्न रियायती दरें उपरोक्त टोल प्लाजा पर लागू होगी।
   (i) समस्त श्रेणी के वाहनों को शुल्क भुगतान के समय से 24 घंटे के भीतर, वापसी पर अनुबन्ध रियायत–एक तरफा यात्रा की सामान्य फीस का केवल डेढ़ गुणा शुल्क देय होगा।
   (ii) समस्त श्रेणी के वाहनों को एक माह के लिए 50 अधिकतम एक तरफा यात्राओं के लिए उपरोक्त टेबल के अनुसार शुल्क लगेगा।
   (iii) रू. 350/– का पास हर कलैण्डर माह के लिए टोल प्लाजा से 20 किमी. की परिधि में रहने वाले गैर वाणिज्यिक वाहन के स्वामी के लिए होगा।
3. छूट प्राप्त वाहनों की सूची शुल्क नियम दिनांक 03.12.2010 जी.एस.आर. 950(अ) एवं अनुवर्ती नियम दिनांक 08.06.2016 जी.एस.आर. 585(अ) में किये गये संशोधन के अनुरूप है।
4. अनुमत तय सीमा से अधिक वजन वाले वाहनों पर उपयोग शुल्क दरों का 2 से 10 गुणा अधिक देय होगा तथा अधिक वजन को हटाकर ही राजमार्ग का उपयोग कर सकेंगें।
5. गजट में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 18.07.2022 दरों की स्वीकृति दिनांक 25.03.2026 आदि देखने के लिए वेबसाइट **http://tis.nhai.gov.in** का अवलोकन करें।
6. किसी भी प्रकार की जाँच/शिकायत/सुझाव के लिये पदनाम व पते इस प्रकार है:–

प्रतिनिधि का पद/नाम	पता	दूरभाष न.
संदीप अग्रवाल महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पकाई–कोटा, प्रीमियम ईटीए, प्रथम तल प्लॉट नम्बर 08, महावीर नगर प्रथम कोटा (राज.)– 324005	8130006149

सड़कें ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण भी

DNA 392343

पंजाब नैशनल बैंक
punjab national bank

ARMB (824400) 2 नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर
ई-मेल: cs8244@pnb.co.in

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियो के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस। सर्व–साधारण को और विशेष रूप से ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो बैंक/प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का कब्जा रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक रूप से **बैंक– प्रतिभूत लेनदार** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है"** चल सम्पत्तियों के अलावा को नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित तिथि को संबंधित ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता से बैंक– प्रतिभूत लेनदार की बकाया ऋण राशि की वसूली हेतु बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य, अग्रिम राशि (धरोहर राशि) संबंधित सम्पत्ति के आगे नीचे दी गई तालिका में वर्णित है।

लॉट नं.	शाखा कार्यालय खाते का नाम ऋणी/जमानतदार का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण/ मालिक का नाम (बंधककर्ता की संपत्ति)	(ए) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक (बी) बकाया ऋण राशि दिनांक 26.03.2026 तक (सी) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अन्तर्गत कब्जे की दिनांक (डी) कब्जे का प्रतीक प्रतीकात्मक/भौतिक/रचनात्मक	(ए) आरक्षित मूल्य (रूपये लाख में) (बी) धरोहर राशि (ईएमडी जमा की) दिनांक व समय (सी) बोली वृद्धि राशि (डी) निरीक्षण की दिनांक एवं समय	ई-नीलामी की दिनांक एवं समय	प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात भार का विवरण
1.	006110 एमआई रोड जयपुर मैसर्स रॉयल कुंज़े (जरिये साझेदार सुश्री मरियम खान और सुश्री मारिया खान) मैसर्स रॉयल कुंज़े (साझेदारों सुश्री मरियम खान और सुश्री मारिया खान) 2-302, सेक्टर नंबर 2, जवाहर नगर, जयपुर, राजस्थान 302004, सुश्री मारिया खान (साझेदार सह जमानतदार) ए-205, जवाहर एन्क्लेव, सेक्टर 2, जवाहर नगर, जयपुर राजस्थान 302004, सुश्री मरियम खान (साझेदार सह जमानतदार) 2/302, सेक्टर नंबर 2, जवाहर नगर, जयपुर जयपुर राजस्थान 302004 सुश्री अनीस खान (जमानतदार) 2/304, गीरा मंदिर के पास, जवाहर नगर, जयपुर राजस्थान 302004	श्रीमती अनीस खान पत्नी श्री शफात अली खान के नाम से साम्यिक बंधक आवासीय संपत्ति के सभी अंश और हिस्से जो फ्लैट नंबर 2/302, द्वितीय मंजिल, सेक्टर-2, जवाहर नगर, जयपुर में स्थित जिसका क्षेत्रफल 45.45 वर्गमीटर जिसमें भूमि एवं भवन, स्ट्रक्चर्स, इरेक्शन्स, इंस्टालेशन्स आदि शामिल हैं। सीमाएं:- उत्तर: सड़क, दक्षिण: सर्विस लेन, पूर्व: फ्लैट नंबर 2/299 और 2/300, पश्चिम: सर्विस लेन।	ए) 05.07.2025 बी) रूपये 24,65,613.13 बकाया + ब्याज एवं खर्चे पूर्ण भुगतान होने तक। सी) 27.03.2026 डी) सांकेतिक	ए) रू. 30,68,000/- बी) रू. 3,06,800/- (ईएमडी जमा (04.05.2026) को रात 11.59 बजे तक) सी) रू. 50,000/- डी) 02-05-2026 प्रातः 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक	05.05.2026 प्रातः 11:00 बजे से सांय 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं

शर्तें व निबन्धन– बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निम्नलिखित शर्तों और निबन्धनों के अधीन होगी। 1. सम्पत्ति को "जो जहाँ है, जो जैसा है, और जो कुछ भी है" के रूप में चल सम्पत्तियों के अलावा बेचा जाएगा। 2. इस अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्ति के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त पूर्ण जानकारी के अनुसार ही प्रतिभूत आस्तियों को ऊपर दिखाई गई तालिका के अनुसार बेचा जाएगा, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्‌घोषणा में किसी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. उपरोक्त बिक्री **https://baanknet.com** की वेबसाइट पर दिनांक **05.05.2026** को प्रातः 11:00 बजे से ई नीलामी के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी। 4. विक्रय की विस्तृत जानकारी हेतु व निबन्धन और शर्तों के लिए कृपया **https://baanknet.com** देखें। 5. प्लेटफार्म ई–नीलामी सेवाप्रदाता मैसर्स पीएसबी एलायंस प्राईवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाएगी जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं. 1, तृतीय तल, VIOS कॉमर्शियल टॉवर, वडाला ट्रक टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट, मुम्बई–400037 में है (हैल्प डेस्क नं. **+91-8291220220, ईमेल आईडी: support.ebkray@psballiance.com**)

दिनांक: 30.03.2026, स्थान: जयपुर

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत वैधानिक बिक्री नोटिस

प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नैशनल बैंक

DNJ-392321

AU SMALL FINANCE BANK
A SCHEDULED COMMERCIAL BANK

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक)
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना)

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 13(12) का सपठित नियमों के नियम (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणीयों को मांग सूचना पत्र निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्गमित कर तालिका में राशि 60 दिवस के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता/ जमानतदार का नाम /ऋण खाता सं.	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख
ऋण खाता सं.: L9001060117686778 व L9001060820888840 **मैसर्स मानसी इलेक्ट्रीकल हार्डवेयर जरिए प्रोपराईटर धनराज रामजी परिहार (ऋणी)**, धनराज रामजी परिहार (सह-ऋणी), श्रीमती पंकू देवी धनराज परिहार (सह-ऋणी)	11 मार्च 2025 ₹ 1212720/- रु. बारह लाख बारह हजार सात सौ बीस मात्र व ₹ 606888/- रु. छह लाख छह हजार आठ सौ अट्ठासी मात्र 10 मार्च 2025	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर पट्टा नं. 27/97-98 के अंतर्गत पट्टे पर स्थित सम्पत्ति, मिसल नं. 167/62-63, वार्ड नं. 16, घांचियों का बास, सुमेरपुर, जिला-पाली, राजस्थान **क्षेत्रफल 317 1/4 वर्ग गज**, पूर्व : दानाराम का मकान, पश्चिम: वरदा जी का मकान, उत्तर कपूरा राम का मकान, दक्षिण : रास्ता व दरवाजा	25 मार्च 2026
ऋण खाता सं.: L9001071037188818 **श्रीमती लक्ष्मी देवी (सह-ऋणी स्व. श्री दुर्गा लाल सेन के विधिक उत्तराधिकारी-ऋणी)**, अजय कुमार सेन (स्व. श्री दुर्गा लाल सेन के विधिक उत्तराधिकारी-ऋणी), अभिषेक (स्व. श्री दुर्गा लाल सेन के विधिक उत्तराधिकारी-ऋणी)	21 अगस्त 2024 ₹ 1550672/- रु. पन्द्रह लाख पचास हजार छह सौ बहत्तर मात्र 20 अगस्त 2024	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर पट्टा नं. 151 पर स्थित सम्पत्ति, प्लॉट नं. 104, गौरव पथ नगर, डंड का रास्ता, नगर पालिका केकड़ी मंदिर, तहसील-केकड़ी, जिला-अजमेर, राजस्थान **क्षेत्रफल 106.33 वर्ग गज**, पूर्व : प्लॉट नं.-103, पश्चिम : खेत, उत्तर: रास्ता, दक्षिण : कॉलोनी प्लॉट्स	26 मार्च 2026
ऋण खाता सं.: L9001070628659412 व L9001070529746727 व L9001070540845458 **रामधन गुर्जर (ऋणी)**, श्रीमती काली देवी (सह-ऋणी)	17 मई 2025 ₹ 397597/- रु. तीन लाख सत्तानबे हजार पॉच सौ सत्तानबे मात्र व ₹ 647083/- रु. छह लाख सैंतालीस हजार तिरासी मात्र व ₹ 199267/- रु. एक लाख निन्यानबे हजार दो सौ सड़सठ मात्र 14 मई 2025	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर पट्टा नं. 05 पर स्थित सम्पत्ति, बुक नं. 23, गांव चांडाली, ग्राम पंचायत रामपाली, तहसील-केकड़ी, जिला-अजमेर, राजस्थान क्षेत्रफल 2475 वर्ग फीट, पूर्व : स्वयं की भूमि, पश्चिम : शैतान की सम्पत्ति, उत्तर : रोड़, दक्षिण : काना शर्मा की सम्पत्ति	27 मार्च 2026
ऋण खाता सं.: L9001060121233207 व L9001060825586175 **धनराज गोचर (ऋणी)**, श्रीमती संतोष बाई (सह-ऋणी)	13 जून 2023 ₹ 1222972/- रु. बारह लाख बाइस हजार नो सौ बहत्तर मात्र व ₹ 300345/- रु. तीन लाख तीन हजार पैंतालीस मात्र 12 जून 2023	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित गुर्जरों का मोहल्ला, गांव - बदगांव, तहसील - लाडपुरा, जिला - कोटा, राजस्थान क्षेत्रफल 171.88 वर्ग गज, पूर्व : मांगीलाल गुर्जर का मकान, पश्चिम: चारभुजा मंदिर, सुख लाल का मकान, दक्षिण: रोड	28 मार्च 2026
ऋण खाता सं.: L9001061121421008 **मेसर्स कामीनी जनरल स्टोर जरिए श्रीमती सुरेखा मेहता - स्व. श्री चन्दुलाल मेहता के विधिक उत्तराधिकारी (ऋणी)**, श्रीमती सुरेखा मेहता (सह-ऋणी - स्व. श्री चन्दुलाल मेहता के विकधक उत्तराधिकारी - सह-ऋणी)	02 मई 2025 ₹ 703131/- रु. सात लाख तीन हजार एक सौ इकत्तीस मात्र 02 मई 2025	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित मकान ग्राम पंचायत असपुर, जिला - डूंगरपुर, राजस्थान क्षेत्रफल 119 वर्ग फीट/वर्ग गज/वर्ग मीटर	28 मार्च 2026
ऋण खाता सं.: L9001060117952812 **धनराज त्रिवेदी (ऋणी)**, श्रीमती दुर्गा त्रिवेदी (सह-ऋणी), राकेश त्रिवेदी (सह-ऋणी)	08 सितम्बर 2025 ₹ 233349/- रु. दो लाख तैंतीस हजार तीन सौ उनचास मात्र 06 सितम्बर 2025	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति पट्टा नं . 67 बुक नं. 03, केएच नं. 1611, ग्राम पंचायत कब्जा, पंचायत समिति सबला, जिला - डूंगरपुर, राजस्थान क्षेत्रफल 408.59 वर्ग फीट, पूर्व: धनराज पुत्र मांगी जी का मकान, पश्चिम: स्वयं का मकान, उत्तर: धनराज पुत्र हरी राम का मकान, दक्षिण: रास्ता	28 मार्च 2026

ऋणियों द्वारा वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणियों को तथा सामान्य जन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में उपरोक्त तालिका में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा ग्रहण कर लिया है।

ऋणियों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के साथ सपठित नियम 8(6) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अन्तर्गत प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय अर्थात इस सूचना से 30 दिवस के सम्बन्ध में है।

ऋणियों को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार उपरोक्त तालिका में वर्णित राशि तथा आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक "एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक) के प्रभार के अधीन होगा।

स्थान: राजस्थान दिनांक: 30 मार्च 2026

प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

DNJ-392318